

राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक / नर्सिंग / नर्स-2 / एसीपी / ए-950 / 2019 /

दिनांक:-

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ0 14(1) एफ.डी./नियम/2013-11 दिनांक 28.06.13 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15 (1) एफ डी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित नर्स-2 जिन्होंने 09, 18 एवं 27 वर्ष की राज्य सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से निम्नानुसार आशास्वित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है -

| क्र. सं. | कर्मचारी का नाम एवं पद | पदस्थापन जिला | प्रथम नियुक्ति तिथि | चयनित वेतनमान देय तिथि | प्राप्त कर रहे पै मैट्रिक्स लेबल/देय पे बैंड | देय पै मैट्रिक्स लेबल/ ग्रेड पे |
|----------|------------------------|---------------|---------------------|------------------------|--|---------------------------------|
| 1 | विमल कुमार | बाडमेर | 11.08.09 | 11.08.18 9 वर्ष | L-11 | L-12 |
| 2 | गोपाल सिंह चौहान | बाडमेर | 11.08.09 | 11.08.18 9 वर्ष | L-11 | L-12 |
| 3 | भरतराज मीणा | बांरा | 20.08.09 | 20.08.18 9 वर्ष | L-11 | L-12 |
| 4 | मनोज कुमार मीना | करौली | 11.08.09 | 11.08.18 9 वर्ष | L-11 | L-12 |
| 5 | पुष्पराज शर्मा | अलवर | 11.08.09 | 11.08.18 9 वर्ष | L-11 | L-12 |
| 6 | गिरीश कुमार उपाध्याय | अलवर | 11.08.09 | 11.08.18 9 वर्ष | L-11 | L-12 |
| 7 | विजय कुमार गोठवाल | अलवर | 14.08.09 | 14.08.18 9 वर्ष | L-11 | L-12 |
| 8 | सदीप कुमार शर्मा | अलवर | 11.08.09 | 11.08.18 9 वर्ष | L-11 | L-12 |
| 9 | नगेश कुमार गुप्ता | जयपुर | 11.08.09 | 11.08.18 9 वर्ष | L-11 | L-12 |
| 10 | भारत मीणा | जैसलमेर | 17.08.09 | 17.08.18 9 वर्ष | L-11 | L-12 |

नोट:- यदि किसी कार्मिक के दिनांक 1.6.2002 के पश्चात तीसरी संतान हुई है तो यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा।

— *sd* —

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक / नर्सिंग / नर्स-2 / एसीपी / ए-950 / 2018 / 396

दिनांक - 05/04/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन जोधपुर/कोटा/भरतपुर /जयपुर।
2. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
3. संबंधित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु।
5. आदेश पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।